GRAMS: ENERPOWER



No.A. 35018/3/2013-Adm.l Government of India Ministry of Power Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi – 110001

Dated : 28 APR 2015

page 1 of 15

То

- (1) Secretaries of all Ministries/Departments of Government of India
- (2) Chairperson, Central Electricity Authority.
- (3) Chairmen/Heads of all Public Sector Undertakings/Autonomous/Statutory Bodies under the administrative control of the Ministry of Power.
- (4) Chairmen of all the State Electricity Boards/Power Utilities.
- (5) Power Secretaries of all the State Governments/Union Territories.
- (6) Vice Chancellors of all Universities/ Head of all IITs/IIMs.
- (7) Chairman, Engineers India Ltd.
- (8) Secretary, PESB, New Delhi.

Subject: Appointment to the post of Member (Grid Operation & Distribution) in the Central Electricity Authority, on deputation/short-term contract basis – inviting applications for – regarding

Sir,

I am directed to say that the vacancy in respect of the post of Member(Grid Operation & Distribution) in the Central Electricity Authority, was circulated vide this Ministry's letter No.A-35018/3/2013-Adm.I dated 19.01.2015, for filling up the post on deputation/Short-term contract basis.

2. It has now been decided to invite fresh applications for the above mentioned post. Those who had applied earlier in response to the above mentioned circular need to apply afresh, if eligible.

3. The post of Member in the Central Electricity Authority carries the scale of pay of Rs.22400-525-24500/- (Pre-revised) [Rs.67000-79000 (Revised)] with ex-officio status of Additional Secretary to the Government of India. The incumbent of the post is entitled to other allowances/benefits as per rules of the Central Government.

4. Appointment to the post of Member in the Central Electricity Authority is made in accordance with the provisions contained in Section 70 of the Electricity Act, 2003 read with the Central Electricity Authority (Terms and conditions of Service of Chairperson and other Members) Rules, 2005.

5. Section 70 (5) of the Electricity Act, 2003 provides that the Members of the Authority shall be appointed from amongst persons of ability, integrity and standing who have knowledge of, and adequate experience and capacity in, dealing with problems relating to engineering, finance, commerce, economics or industrial matters, and at least one Member shall be appointed from each of the following categories, namely:

- (a) engineering with specialization in design, construction, operation and maintenance of generating stations;
- (b) engineering with specialization in transmission and supply of electricity;
- (c) applied research in the field of electricity;

6. In terms of the provisions contained in the Central Electricity Authority (Terms and conditions of Service of Chairperson and other Members) Rules, 2005, no person shall be eligible for appointment to the office of a Member, unless he has held:

 the post of Chief Engineer or equivalent in the scale of pay of Rs.18400-500-22400 (pre-revised) [Rs.37400-67000 + Grade pay of Rs.10000 (Revised)] or higher post or scale of pay on a regular basis for at least five years under the Central Government or a State Government;

or

a post equivalent to that of a post mentioned above, under a State Electricity Board or a semi-Government Organisation or a Public Sector Undertaking or an Autonomous Body or a Statutory Body or a University or an Indian Institute of Technology or an Indian Institute of Management on a regular basis for at least five years; and

(b) The person would also need to possess a minimum of three years' field experience in the relevant field as defined in sub-section (5) of section 70 of the Electricity Act.

7. The duties and responsibilities attached to the post of Member (Grid Operation & Distribution) CEA, are given at <u>Annexure-I.</u>

8. The Member shall hold office_during the pleasure of the Central Government. Appointment to the post would normally be made for a period of five years, which shall be restricted to the date on which the incumbent of the post attains the age of superannuation. The officer selected will not be eligible for permanent absorption in the CEA. The maximum age limit for appointment to the post shall be **56 years** as on the closing date for receipt of applications. 9. The crucial date for determination of eligibility of applicants for the post will be the closing date for receipt of the applications.

10. It is requested that the above mentioned vacancy may be given wide publicity among the eligible candidates and the particulars of the suitable and eligible serving persons who are willing to be considered and whose services can be spared, may please be forwarded in the enclosed Proforma (Annexure-II) (in quadruplicate) together with the following documents/information so as to reach within 45 days from the date of publication of the vacancy in the Employment News/Rozgar Samachar, to The Under Secretary (Admn.I), Ministry of Power, Room No.225, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110001:

- (i) Attested photocopies of Annual Confidential Reports for the last 5 years.
- (ii) Vigilance Clearance Certificate & Integrity Certificate (to be signed by an officer not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India).
- (iii) Whether any penalty has been imposed on the applicant during the last ten years, and if so, details thereof.

11. It may be ensured that the particulars furnished in Part-I of the application by the applicant are duly verified and countersigned invariably by the employer. Applications received after the closing date or without the prescribed documents/information will not be considered.

Yours faithfully,

(Hindi version follows)

Encl: As above

(P.P. Bose) Under Secretary to the Government of India Tele No.23715327.

Copy forwarded for information to:

- i) PS to Minister of State for Power (I/C).
- ii) PPS to Secretary (Power)/ PPS to SS(RNC)/Sr.PPS to SS(DC).
- iii) NIC, Ministry of Power, for hosting the vacancy circular on the web-site of the Ministry. This circular may be kept on the web-site till the end of June, 2015.

(P.P. Bose) Under Secretary to the Government of India Tele No.23715327.

ANNEXURE-I

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF MEMBERS, CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

MEMBER (GRID OPERATION & DISTRIBUTION)

Formulation of policies for safe, secure and economic operation of regional grids; integrated operation, control and co-ordination of five regional grids through Regional Power committees; monitoring of delivery of shares from Central Sector projects; intra and interregional exchange of power; emergency power assistance; energy accounting on daily and monthly basis; load generation balance and grid disturbance studies; grid code; tariff principles of bulk generation & transmission; monitoring of rural electrification; optimization of distribution network; work relating Accelerated Power Development & Reforms Programme (APDRP) including 100% metering, energy accounting, evaluation of benefits, quality control; matters relating to telecommunication in Power Sector; telecommunication data acquisition and software support; operation monitoring and performance review of thermal power stations; updating of maintenance procedures; generation data collection; performance analysis; maintenance monitoring etc.

ANNEXURE-II

Application for the post of Member (Grid Operation & Distribution) in the Central Electricity Authority

<u> P'ART - I</u>

CURRICULAM VITAE PROFORMA

1	Name and Address including		
	Telephone Numbers		
	(in Block Letters)		
2	Date of Birth '		
	(in Christian Era)		
3	Date of retirement under		
	Central/ State Government/		
	Parent Organisation Rules		
4	Educational Qualifications		
5	Whether Educational and other		
	qualifications required for the		
	post are satisfied. (If any		
	qualification has been treated		
	as equivalent to the one		
	prescribed in the Rules, state		
	the authority for the same)		
		Qualifications/Experience	Qualifications/Experience
		required	possessed by the officer
		(1)	
		(2)	. *
		(3)	
6	Please State clearly whether in		
	the light of entries made by you		
	above, you meet the		
	requirement of the post		

7. Details of Employment, in chronological order. Enclose a separate sheet duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient

Office/ Institution/Organisation	Post Held _{xe}	From	То	Scale of Pay and Basic pay	Nature of Duties (in detail)
					(in detail)
	- - -				

- 8. Nature of present employment i.e. Ad-hoc or Temporary or on Contract basis or Permanent
- 9. In case the present employment is held On deputation/contract basis, please state –
 - a) the date of initial appointment
 - b) period of appointment on deputation/ Contract

.

- c) name of the parent office/organization to which you belong
- 10 Additional details about present employment

Please state whether working under (indicate the name of your employer against the relevant column)

- a) Central Govt.
- b) State Govt.
- c) Autonomous Organisation
- d) Government Undertaking
- e) Universities/ IITs/ IIMs
- f) Others
- 11. Are you in revised scale of pay? If yes, give the date from which the revision took place and also indicate the pre-revised scale
- 12. Total emoluments per month now drawn
- 13. Additional information, if any, which you would like to mention in support of your suitability for the post.

(This among other things may provide information with regard to (i) additional academic qualifications (ii) professional training and (iii) work experience over and above prescribed in the Vacancy Circular/ Advertisement)

(Note: Enclose a separate sheet, if the space is insufficient).

14. Remarks (The candidates may indicate information with regard to (i) Research

publications and reports and special projects (ii) Awards/Scholarship/Official Appreciation (iii) Affiliation with the professional bodies/Institutions/societies and (iv) any other information.

(Note: Enclose a separate sheet if the space is insufficient)

I have carefully gone through the vacancy circular/advertisement and I am well aware that the Curriculum Vitae 'which are duly supported by documents submitted by me will also be assessed by the Selection Committee at the time of selection for the post.

Signature of the candidate Address: Telephone/Mobile No: Fax No:

Countersigned by the authorised signatory of the Employer with official seal

P A R T - 11

(Name and address of the Office forwarding the application)

Reference No._____ Date:

Certified that:-

- (a) no vigilance case/disciplinary proceedings are pending or contemplated against the above mentioned officer;
- (b) no penalty has been imposed on the applicant in the last ten years (If any penalty has been imposed on the applicant please give details);
- (c) no penalty is in operation against the applicant as on date (If any penalty is in operation against the applicant, please give details)

Signature _____ Name_____ Designation _____ Office_____

(The Part-II of the application must be signed by a Competent Authority not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India)

. . .



तार-इनरपावर

सं0 ए-35018/3/2013-प्रशा.1 े भारत सरकार विद्युत मंत्रालय श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,नई दिल्ली-110001 दरभाष नं0 23715507, फैक्स नं0 23717519

दिनांक 🧎 🖁 🔊 🤉 👔

प्रति

- (1) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव
- (2) अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ।
- (3) विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/ स्वायत्तशासी/सांविधिक निकायों के अध्यक्ष/प्रधान ।
- (4) सभी राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत यूटिलिटियों के अध्यक्ष ।
- (5) सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के विद्युत सचिव ।
- (6) सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति/सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों/भारतीय प्रबंधन संस्थानों के प्रधान ।
- (7) अध्यक्ष इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ।
- (8) सचिव, पीएसईबी नई दिल्ली।

विषयः प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक अनुबंध आधार पर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में, सदस्य (ग्रिड प्रचालन एवं वितरण) के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के सबंध में ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक अनुबंध आधार पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में निदेशक (ग्रिड प्रचालन एवं वितरण) के पद को भरने के लिए इस मंत्रालय के दिनांक 19.01.2015 के पत्र के तहत रिक्ति परिचालित की गई थी।

2. उपरोक्त पद के लिए अब नए आबेदन आमंत्रित करने के लिए निर्णय लिया गया है। जिन्होंने, यदि पात्र हैं, उपरोक्त उल्लिखित परिपत्र के प्रत्युत्तर में पहले आवेदन किया था, उन्हें अब आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

3. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में सदस्य के पद का वेतनमान भारत सरकार के अपर सचिव के पद के समान 22,400-525-24,500 (संशोधन-पूर्व) [(67,000-79,000 रूपए (संशोधित)] है। इस पद के पदधारी केन्द्र सरकार के नियमों के अनुसार अन्य भत्तों/लाभों के हकदार होंगे ।

Page 9 \$ 15

4. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में सदस्य के पद पर नियुक्ति केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की सेवा की निबंधन एवं शर्तें) नियमावली, 2005 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 70 में समाविष्ट प्रावधांनों के अनुसार की जा रही है ।

5. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 70(5) में प्रावधान है कि प्राधिकरण के सदस्य योग्य, सत्यनिष्ट एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे जिन्हें इंजीनियरिंग, वित्त, वाणिज्य, अर्थशास्त्र अथवा औद्योगिक मामलों से संबधित समस्याओं को सुलझाने का पर्याप्त अनुभव हो, तथा वे इसमें सक्षम हों, और कम-से-कम एक सदस्य निम्नलिखित प्रत्येक श्रेणी में से नियुक्त किया जाएगा अर्थात-

- (क) उत्पादक केन्द्रों के डिजाइन, निर्माण, प्रचालन एवं अनुरक्षण में विशेषज्ञता के साथ इंजीनियरिंग ।
- (ख) विद्युत के पारेषण एवं आपूर्ति में विशेषज्ञता के साथ इंजीनियरिंग ।
- (ग) विद्युत के क्षेत्र में अनुप्रयुक्त अनुसंधान ।

6. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की सेवा की निबंधन एवं शर्तें) नियमावली, 2005 में सम्मिलित प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति प्राधिकरण के अध्यक्ष सहित सदस्य के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने निम्नलिखित पद धारित न किया हो-

(क) केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन कम से कम 5 वर्षों के लिए नियमित आधार पर रू0 18400-500-22400(संशोधन पूर्व) [रू0 37400-67,000+रू0 10,000 का ग्रेड वेतन (संशोधित)] में मुख्य अभियंता अथवा समकक्ष पद या उच्च पद अथवा वेतनमान;

अथवा

कम से कम 5 वर्ष तक नियमित आधार पर, राज्य विद्युत बोर्ड अथवा अर्द्ध-सरकारी संगठन अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अथवा स्वायत्तशासी निकाय अथवा सांविधिक निकाय अथवा विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अथवा भारतीय प्रबंधन संस्थान में उपर्युक्त वर्णित पद के समकक्ष कोई पद; तथा

(ख) व्यक्ति को विद्युत अधिनियम की धारा 70 की उप धारा (5) में यथा परिभाषित संबंधित क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का क्षेत्रीय अनुभव होना भी आवश्यक है ।

7. सदस्य (ग्रिड प्रचालन एवं वितरण), सीईए के पद से जुड़े कार्य एवं उत्तरदायित्व अनुबंध-1 में दिए गए हैं ।

8. सदस्य, केंद्र सरकार द्वारा अपेक्षित समयावधि तक पद पर रहेंगे । इस पद पर नियुक्ति सामान्यतः 5 वर्षों की अवधि के लिए होगी जो कि पदधारी की सेवानिवृत्ति की तारीख तक सीमित होगी । चयनित अधिकारी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में स्थायी रूप से अंतर्लयन हेतु पात्र नहीं होंगे । इन पदों पर नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष (आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख को) होगी ।

9. इस पद के लिए आवेदकों की पात्रता के निर्धारण हेतु अंतिम तारीख आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी । १०९९ १० ०/15 10. अनुरोध है कि पात्र उम्मीदवारों के बीच उपर्युक्त रिक्तियों का व्यापक प्रचार किया जाए और उपयुक्त एवं पात्र सेवारत अधिकारियों, जो इसके लिए इच्छुक हैं और जिन्हें सेवा देने के लिए मुक्त किया जा सकता हो, के विवरण निम्नलिखित दस्तावेजों/सूचनाओं के साथ, संलग्न प्रपन्न (अनुबंध-II) (चार प्रतियों में) में इस प्रकार से अग्रेषित करें कि यह रिक्ति के एम्पलायमेंट न्यूज/रोजगार समाचार में प्रकाशन की तिथि से 45 दिन के भीतर श्री पी.पी. बोस, अवर सचिव (प्रशासन-I), विद्युत मंत्रालय, कमरा नं0 225, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001. के पास पहंच जाए-

(i) पिछले 5 वर्षों की वार्षिक गोपनीयता रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपियां ।

(ii) सतर्कता संबंधी अनुमति प्रमाण-पत्र तथा सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र (जिसे ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो जो उप सचिव, भारत सरकार से नीचे के पद का न झे) ।

(iii) क्या गत 10 वर्षों में आवेदक पर कोई शास्ति लगाई गई है, और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा ।

11. यह सुनिश्चित किया जाए कि आवेदक द्वारा आवेदन के भाग-। में दिए गए ब्यौरे की नियोक्ता द्वारा विधिवत रूप से जांच की गई है और प्रतिहस्ताक्षर किया गया है। अंतिम तारीख के पश्चात प्राप्त अथवा बिना निर्धारित दस्तावेजों/सूचना के प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

भवदीय,

पि: जि.वोम्) (पी.पी.बोस) अवर सचिव, भारत सरकार दूरभाषः 23715327

संलग्नः यथोपरि प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः

- (i) विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव ।
- (ii) सचिव (विद्युत) के प्रधान निजी सचिव/अपर सचिव (डी.सी.) के निजी सचिव
- (iii) एन.आई.सी. विद्युत मंत्रालय—रिक्ति परिपत्र को मंत्रालय की वेबसाइट पर डालने हेतु। कृष्या इस परिपत्र को फरवरी, 2014 के अंत तक वेबसाइट पर रखा जाए।

कि कि बोस

(पी.पी.बोस) अवर सचिव, भारत सरकार दूरभाषः 23715327

अनुबंध-।

सदस्य, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के कर्त्तव्य एवं दायित्व

सदस्य (ग्रिड प्रचालन एवं वितरण)

क्षेत्रीय ग्रिडों के सुरक्षित, सुंदृढ़ और मितव्ययी प्रचालनैं; क्षेत्रीय विद्युत समितियों के माध्यम से पाँच क्षेत्रीय ग्रिडों के एकीकृत प्रचालन नियंत्रण और समन्वयन; केंद्रीय क्षेत्र परियोजनाओं से हिस्सों की सुपुर्दगी की निगरानी; विद्युत के अंतः और अंतरदेशीय विनिमय; आपातकालीन विद्युत सहायता; दैनिक और मासिक आधार पर ऊर्जा लेखा; भार उत्पादन संतुलन और ग्रिड विक्षुब्धता अध्ययन; ग्रिड कोड; थोक उत्पादन और पारेषण के प्रशुल्क संबंधी सिद्धांत; ग्रामीण विद्युतीकरण की निगरानी; विद्युत नेटवर्क के इष्टतमीकरण; 100% मीटरिंग; ऊर्जा लेखा, लाभों के मूल्यांकन; गुणवत्ता नियंत्रण सहित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) से संबंधित कार्य; विद्युत क्षेत्र में दूरसंचार से संबंधित मामलों; दूरसंचार आंकड़ा प्राप्ति और साफ्टवेयर सहायता; ताप विद्युत केंद्रों की प्रचालन निगरानी और निष्पादन समीक्षा; रखरखाव प्रक्रियाओं को अद्यतन करने; उत्पादन आंकड़ा संग्रहण; कार्यनिष्पादन विश्लेषण; रखरखाव निगरानी के लिए नीतियां तैवार करना ।

Page 12 of 15

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में सदस्य (ग्रिड प्रचालन एवं वितरण) के पद हेतु आवेदन पत्र

e'

भाग-।

जीवन वृत्त

1. नाम व पता दूरभा	ष नंबर सहित		:		·	
(स्पष्ट अक्षरों में)						
 जन्म तिथि (ईर 	वी सन में)					
	,					
3. केंद्र/राज्य	सरकार/मूल संगठन					
	त सेवानिवृत्ति की तिथि					
 शैक्षिक योग्यता 	<u>_</u>					
5. क्या पद के लि	ए अपेक्षित शैक्षिक एवं	अपेक्षित	शैक्षिक	ज्योग्यताएं/	' अधिकारी की	योग्यताएं/अनुभव
•	कर ली गई हैं । (यदि					
	ा को नियमों में वर्णित	-				
किसी शैक्षिक योग्य	ाता के समकक्ष माना					
गया है तो उसके	प्राधिकारी का उल्लेख					
करें)						
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(1)		· · · · · · ·		
		(2)				
		(3)				
 कृपया स्पष्ट स्व 	प से बताएं कि आपके					- - -
द्वारा जपर की गई	प्रविष्टियों के मद्देनज़र					
क्या आप पद सं	बंधी आवश्यकता पूरी				1	
करते हैं						
7. कालानुक्रम में ज	रोजगार के ब्यौरे । यनि	दे नीचे स्थ	ान अप	र्याप्त है, तो	अलग से एक ज	खः भ्रमाणित कागज
संलग्न करें						
कार्यालय/संस्थान	धारित पद	से		तक	वेतनमान एवं	~ ~
					मूल वेतन	(विस्तार से)
		1				
			ĺ			
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	की प्रकृति अर्थात तदर्थ		ायी या			
अनुबंध आधार पर य	ा स्थायी । 🦉 🔭		<u> </u>		· · · · ·	······
9. यदि वर्तमान रोज़	गगर प्रतिनियुक्ति/अनुबंध	आधार प	र है तो			
कृपया बताएं-						
						-
क) आरंभिक नियुक्ति की अवधिः						
ख) प्रतिनियुक्ति/अनु	बंध आधार पर नियुक्ति	का ताराख				
ग) मल कार्यालय/	संगठन का नाम जिससे उ	सबंधित है				

10. वर्तमान रोज़गार के बारे में अतिरिक्त ब्यौरे	
कृपया बताएं कि आप किसके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(संबंधित कॉलम के सामने अपने नियोक्ता का नाम दर्शाएं)	
क) केंद्र सरकार	
ख) राज्य सरकार	
ग) स्वायत्तशासी संगठन	
घ) सरकारी उपक्रम	
ड.) विश्वविद्यालय/भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान/भारतीय प्रबंधन-	- &
संस्थान	
च) अन्य	
11. क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं ? यदि हां, वह तिथि	
बताएं जब से संशोधन हुआ है और संशोधित पूर्व वेतनमान	
भी दर्शाएं	
12. अब प्रतिमाह आहरित की जा रही कुल परिलब्धियां	
13. कोई अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हों तो, जो आप पद के	
लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में देना चाहें ।	
(अन्य बातोंन्के साथ-साथ (1) अतिरिक्त शैक्षिक योग्यताएं (11)	
व्यावसायिक प्रशिक्षण और (।।)) रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन में	
वर्णित कार्य अनुभव से अधिक अनुभव होने के संबंध में सूचना	
प्रदान कर सकते हैं)	
(नोट- यदि स्थान अपर्याप्त है तो अलग से कागज संलग्न	
करें)	
14. टिप्पणियां (आवेदक (।) अनुसंधान प्रकाशन, रिपोर्ट एवं	
विशेष परियोजनाएं (।)) पुरस्कार/छात्रवृत्ति/कार्यालयी	
सम्मान/(II)व्यावसायिक निकायों/संस्थानों/सोसायटियों के	
साथ संबद्धता और (त्व) कोई अन्य सूचना दर्शा सकते हैं।	
(नोट- यदि जगह पर्याप्त नहीं है तो कृपया एक अलग	
कागज संलग्न करें)	

मैंने रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन को भली-भांति पढ़ लिया है और मुझे इस बात की पूरी जानकारी है कि प्रस्तुल किए गए दस्तावेजों द्वारा विधिवत रूप से समर्थित मेरे जीवनवृत्त का भी, पद चयन के समय, चयन समिति के द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा ।

ν.

•

.

जम्मीदवार के हस्ताक्षर
पताः
दूरभाष/मोबाइल नं0
फैक्स नं0

नियोक्ता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालयी मुहर सहित प्रतिहस्ताक्षत्र

भाग-॥

(आवेदन- पत्र अग्रेषित करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता)

संदर्भ सं0.....

तारीख,.....

प्रमाणित किया जाता है कि-

(क) जपर उल्लिखित अधिकारी के विरूद्ध कोई संतर्कता मामला/अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है अथवा विचारणीय नहीं है;

(ख) विगत दस वर्षों में आवेदक पर कोई शास्ति नहीं लगाई गई है (यदि आवेदक पर कोई शास्ति लगाई गई है तो कृपया उसका ब्यौरा दें);

(ग) आज की तारीख में आवेदक के विरूद्ध कोई शास्ति प्रचालनाधीन नहीं है (यदि आवेदक के विरूद्ध कोई शास्ति लगी हुई है तो कृपया उसका ब्यौरा दें)

हरतीक्षर
नाम
पदनाम
कार्यालय

(आवेदन-पत्र का भाग-॥ सक्षम प्राधिकारी, जो उप सचिव, भारत सरकार से निम्न पद-पर न हो, द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना अनिवार्य है)

* * * * * * * * * * * *

.